**राजस्थान सरकार**
**कार्मिक (क–4) विभाग**

क्रमांकः प. 13 (2) कार्मिक/क–4/2/2021 दिनांकः 9 MAY 2021

## आदेश

कोविड संक्रमण (कोविड–19) से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर निजी मेडिकल कॉलेजों एवं चिकित्सालयों से बेहतर संवाद एवं समन्वय स्थापित करने, आमजन को सहज एवं सुलभ उपचार उपलब्ध करवाने, अस्पतालों में कोविड उपचार हेतु चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने आदि कार्यों के लिए चिकित्सा विभाग के आदेश क्रमांक प. (1) चिकि/ग्रुप–2/2020 दिनांक 06.04.2021 की पालना में सभी जिलों में जिला कलक्टरों द्वारा इस विभाग द्वारा जिला कलेक्टरों को उपलब्ध करवाए गए राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को निजी चिकित्सालयों में नोडल नियुक्त किया गया है। कोविड संक्रमित मरीजों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों की भूमिका और बढ़ गई है तथा इन परिस्थितियों में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से सामान्य समन्वय, पर्यवेक्षण एवं संवाद के साथ ही अधिक सक्रिय भूमिका की अपेक्षा है। अतः सभी नोडल अधिकारियों के लिए निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं :–

01. सभी अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के उपर्युक्त आदेश दिनांक 06.04.2021 के निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे।
02. कॉलेज/चिकित्सालय प्रबंधन के साथ समन्वय एवं सहयोग कर प्रतिदिन यह सुनिश्चित किया जाए कि चिकित्सालय में कोविड मरीजों के उपचार में किसी भी प्रकार की समस्या न हो तथा पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो।
03. चिकित्सालय द्वारा गंभीर कोविड मरीज को भर्ती करने से मना नही किया जाए। यदि किसी अवसर पर चिकित्सालय में बेड उपलब्ध नहीं होने के कारण भर्ती किया जाना संभव नहीं हो तो नोडल अधिकारी द्वारा जिला प्रशासन से समन्वय कर अन्य अस्पताल जहां बेड उपलब्ध हो भर्ती करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी।
04. यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कॉलेजों/चिकित्सालयों में स्वयं के ऑक्सीजन उत्पादन प्लाण्ट (Air Separation Unit-ASU एवं Pressure Swing Absorption-PSA) अधिकतम क्षमता के साथ कार्य करें। अस्पताल प्रशासन की सहायता से इनकी क्षमता में वृद्धि के लिए आवश्यक कार्यवाही कराएं।
05. सभी मेडिकल कॉलेजों/निजी चिकित्सालयों द्वारा अपने स्तर पर ऑक्सीजन कांसंट्रेटर मशीनें प्राप्त की जाएं।
06. राज्य में बढ़ते कोविड संक्रमण के मद्देनजर दिनांक 10.05.2021 से 24.05.2021 तक लॉकडाउन लागू किया गया है। नोडल अधिकारी अपने–अपने मेडिकल कॉलेज/चिकित्सालय से संबद्ध क्षेत्र में लॉकडाउन की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने में जिला प्रशासन/पुलिस का आवश्यक सहयोग करें।
07. नोडल अधिकारी अपने क्षेत्र में आमजन को कोविड अनुकूल व्यवहार के संबंध में ज्यादा से ज्यादा जागरूक और प्रेरित करें। इसके लिए सोशल मीडिया (Social Media), पब्लिक एड्रेस सिस्टम (Public Address System) एवं समाचार माध्यमों के उपयोग के साथ ही क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के तहत गठित कोर कमेटियों का अधिकाधिक सहयोग लिया जाए।
08. लॉकडाउन अवधि में सभी जरूरतमंद और निराश्रित परिवारों/व्यक्तियों को सभी स्रोतों से खाद्य सामग्री/फूड पैकेट का वितरण सुनिश्चत करवाएंगे। राज्य सरकार द्वारा कोविड संक्रमितों को इंदिरा रसोई के माध्यम से भोजन उपलब्ध करवाने हेतु आदेशित किया गया है। अतः कोविड मरीजों एवं अन्य जरूरतमंदों हेतु भोजन की व्यवस्था हेतु दानदाताओं को प्रोत्साहित कर "इंदिरा रसोई" की सुविधाओं का अधिकतम उपयोग किया जाए।

09. सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में **मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना** का अधिकाधिक प्रचार प्रसार करते हुए सभी पात्र नागरिकों का योजना के तहत पंजीयन सुनिश्चित करवाएंगे। मुख्यमंत्री योजना के तहत पंजीयन हेतु अंतिम तिथि 31 मई 2021 तक बढ़ा दी गई है।

सभी राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी जो नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त हैं उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करते हुए न केवल आवंटित मेडिकल कॉलेज/चिकित्सालय के राज्य सरकार से समन्वय एवं इन चिकित्सालयों का सामान्य पर्यवेक्षण ही करेंगे बल्कि संबंधित क्षेत्र में दिनांक 10.05.2021 से 24.05.2021 तक लॉकडाउन की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराने, कोविड बचाव अनुकूल व्यवहार के बारे में जागरूकता एवं पालना कराने तथा अतिरिक्त चिकित्सीय सुविधाएं सृजित कराने हेतु सक्रिय रूप से कार्य करेंगे।

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
02. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण।
03. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
04. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
05. समस्त संभागीय आयुक्त।
06. समस्त जिला कलेक्टर
07. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
08. प्राचार्य समस्त मेडिकल कॉलेज
09. संबंधित नोडल/सहायक नोडल अधिकारी
10. मेडिकल कॉलेज/चिकित्सालय
11. रक्षित पत्रावली।

9/5/21

(हेमन्त गेरा)
प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक